

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 21/2019

श्री भंवर सिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम भैरवाई, तहसील
रूपनगढ़, जिला अजमेर।

.....अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़

.....रेस्पोंडेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956

उपस्थित :-

1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी, वकील अपीलान्त की ओर से।
2. श्री हेमराज राठौड़, सरकारी वकील

—: आदेश :—

दिनांक-28.06.2019

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि संवत् 2075 में श्री भंवर सिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम भैरवाई, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर ने ग्राम रूपनगढ़ के आराजी खसरा नम्बर 103 किस्म गै0मु0 श्मशान में से 00-08-00 बीघा भूमि पर अनाधिकृत रूप से मकान व चारदीवारी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार रूपनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 96/2018 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 15.11.2018 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार विवादित भूमि से अतिक्रमी की बेदखली व शास्ति कायम की गई। अपीलान्त द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 15.11.2018 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोंडेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिंदु पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने के कारण न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के पश्चात हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्त ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलान्त रेस्पोंडेन्ट द्वारा अंकित ग्राम भैरवाई तहसील रूपनगढ़ के खसरा



श्री 7
अपर कलक्टर,
अजमेर

संख्या 103 की अपनी अधिकार अर्जित आवासीय निर्मित मकान, बाड़ा मय दीवार बनाकर 20-25 वर्ष पूर्व से अपने परिवार सहित निवास कर रहा है एवं विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है तथा अपने मवेशी व चारा, घास फूस रखता है। अपीलान्त गरीब परिवार का व्यक्ति है एवं आय का अन्य कोई स्रोत एवं आवासीय मकान नहीं है। विवादग्रस्त आराजी श्मशान भूमि से काफी दूरी पर स्थित है व श्मशान की भूमि का रकबा काफी बड़ा है। विवादित आराजी में वर्तमान में अन्य व्यक्तियों के भी पक्के मकान बने हुए हैं जिसमें काफी वर्षों से परिवार सहित निवास करते चले आ रहे हैं। उन्होंने कथन किया कि राजनैतिक प्रतिनिधियों द्वारा ईर्ष्यावश रेस्पॉन्डेन्ट से मिलीभगत करके दिनांक 08.10.2018 को धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी किया जाकर प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 30.10.2018 नियत की गई तथा नियत दिनांक को पीठासीन अधिकारी के राजकीय दौरे पर होने के कारण आगामी दिनांक 15.11.2018 नियत की गई किन्तु नियत दिनांक को अपीलान्त द्वारा जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने का निवेदन करने के उपरान्त भी रेस्पॉन्डेन्ट द्वारा अनदेखी करते हुए दिनांक 15.11.2018 को अपीलान्त के खिलाफ विधि विरुद्ध आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो काबिल निरस्त योग्य है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपीलान्त के पास निवास हेतु अन्य कोई आवासीय मकान नहीं है। अपीलान्त के निर्मित आवासीय मकान व चारदीवारी को ध्वस्त नहीं किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत बहस के जबाव में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक गै0मु0 श्मशान दर्ज है। फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्त निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का जाजोता ने अपनी रिपोर्ट में अपीलान्त द्वारा विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से आवासीय मकान व चारदीवारी बनाकर अतिक्रमण किया जाना बताया है। विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में गै0मु0 श्मशान दर्ज है। फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है उसमें हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलान्त सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 28.06.2019 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(आनन्दीलाल वैष्णव)
(आनन्दीलाल वैष्णव)
अधीनस्थ न्यायालय अजमेर